8.4.24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। P.O. सा. चुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दि. 19.6.24 को पेश होवे।

(Reader)

19.06.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। जवाब प्रतिवादी प्रस्तुत। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की आराजी है। प्रथमदृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलन की दृष्टि से प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसे में रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन किये जाने पर वाद विविधता बढ़ेगी। तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

अतः अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाते हैं कि मौजा नागरिया पंचेता के खाता सं. 257 के खे.सं. 1471/910 होकर रकबा 1.331 हैक्ट. भूमि में मूल वाद के फैसले तक अतिक्रमण, निर्माण न तो स्वयं करें न अन्य किसी व्यक्ति से करावे। प्रार्थी को काश्त करने में रुकावट पैदा न करें। वादग्रस्त भूमि विक्रय अथवा बख्शीश न करें। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति बनाए रखें।

पत्रावली में मूल वाद के फैसले तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner